न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2016 (अवमानना प्रार्थना पत्र)

उमरावसिंह नागोरी पुत्र स्वर्गीय हिम्मतसिंह जी नागोरी, निवासी 133, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थी/याची

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
2. डॉ॰ श्री आर.पी. शर्मा निवर्तमान सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, निवासी शिवम रेडिजेन्सी, द्वितीय मंजिल, फ्लेट नंबर 200, दुर्गा नर्सरी रोड़, उदयपुर (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मंजुलता टांक अभिभाशक प्रार्थी/याची

2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक विपक्षी

———::———

निर्णय दिनांक

07–08–2019

यह अवमानना याचिका याची द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 02–08–2010 को रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अन्तरिम स्थगत पारित किया गया था कि उप जिला कलक्टर गिर्वा के मुकदमा नंबर 188/06 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–02–2007 की पालना आगामी पेशी दिनांक 06–09–2010 तक रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई जावे तथा आदेश की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की, किन्तु अन्तरिम स्थगन आदेश के बावजूद भी विपक्षी द्वारा भूमि रूपान्तरण कर दिया गया, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की परिभाषा में आता है इसलिए उक्त भूमि बाबत् धारा 90 (क) भू–राजस्व अधिनियम को निरस्त कर पुनः प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर राजस्व भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकर कर विवादित भूमि पुनः राजस्व

रेकार्ड में कृषि भूमि (राजस्व भूमि) दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी नगर विकास प्रन्यास के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा किसी प्रकार के न्यायालय आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है, क्योंकि वक्त रूपान्तरण किसी प्रकार का स्थगन प्रलचित नहीं था तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 13–05–2019 को एक आवदेन बाबत् आरोप विरचित किये जाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आरोप विरचित नहीं किये गये हैं, जो न्यायहित में विरचित किये जाने आवश्यक हैं। अतः विपक्षी के विरूद्ध आरोप विरचित कराये जावें।

उक्त आवेदन की नकल विपक्षी के अधिवक्ता को दिलायी जाकर हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02–08–2010 को एकक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 06–09–2010 तक के लिए दिया गया था। विपक्षी द्वारा रूपान्तरण आदेश दिनांक 12–02–2014 को जारी किया गया है, वक्त रूपान्तरण किसी प्रकार का स्थगन प्रचलित रहा हो यह प्रार्थी ने साबित नहीं कराया है तथा उक्त रूपान्तरण आदेश के विरूद्ध यह आवेदन दिनांक 28–11–2016 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि कन्टेम्प्ट के मामले में आवेदन प्रस्तुत करने की मियाद एक वर्ष है। तद्नुसार आवेदन मयाद बाहर प्रस्तुत होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है। इस सन्दर्भ में जो न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2018 सुप्रिम कोर्ट पेज 4172 प्रार्थी ने प्रस्तुत की है, वह आपराधिक प्रकरण से संबंधित है, जिसके तथ्य राजस्व प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

जहां तक विपक्षी के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का प्रश्न है, हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन अनुसार जब विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप ही सिद्ध नहीं होता है तो उस पर

विचार किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। तद्नुसार यह आवेदन भी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी/याची द्वारा पेश अवमानना याचिका प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने एवं आरोप विरचित किये जाने का आवेदन सारहीन होने से उक्त दोनों आवेदन खारिज किय जाते है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर